

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण / वादीगण	वनाम	विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
होथाराम पुत्र जैमुराम जाति मेघवाल निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव बाड़मेर।	ईस्माइल खान पुत्र रिडमल खां वगैरा (13)	

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या 80 / 2025
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2025	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब आईन्दा दिनांक 20.05.25 को पेश हो।	8641-8653 14/5/2025
30.5.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दौंगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 16.06.25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
16.6.25	पत्रावली पेश। वारी वरील उप। प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेबरी रिपोर्ट पेश। जिन्हे शाकील पत्रावली रिपट जप्प। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण ना इंतजार होकर दिनांक 17.7.25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
17.7.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 21.07.25 को पेश हो।	
21.07.25	पत्रावली पेश। वरील वारी उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण ना इंतजार होकर दिनांक 13.08.25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)



21.01.26

पत्रावली जैसा वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रजावी पेंदी हेतु वादी व
वादी वकील को न्यायालय सभा में
रुक-रुककर आवाजें नौ जाने के
बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली
में प्रजावी पेंदी नहीं होने तथा अनुपस्थित
रहने पर उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर
अटक हाजरी व अटक पेंदी में खारिज
की जाती है।

पत्रावली जैसाल सुमाए होकर नम्बर
से कम होकर दायित्व दफ्तार हो।


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)